(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 51–दो/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 12–12–2003 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 489/2001–02 अपील

1– शीतल सिंह पुत्र चंदन सिंह
2– सतविन्दर कौर पत्नि सुरेन्द्रसिंह
3– रन्दीपसिंह 4– मदीप सिंह
5– जगदीप सिंह सभी पुत्रगण सुरेन्द्रसिंह
क्र–5 नावालिग सरपरस्त माता सतविन्दर
निवासीगण ग्राम कुकरेठा तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– धर्मपाल 2– रामचरण 3– पप्पू
पुत्रगण नंदलाल, ग्राम कुकरेटा
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री के0एस0कुशवाह)

आ दे श

(दिनांक 9–2– 2016 को पारित)

अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 489/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 12–12–2003 के विरूद्ध यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदकगण के पिता नंदलाल ने अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी के समक्ष आवेदन देकर बताया कि उसके नाम ग्राम कुकरेठा में आराजी नंबर 335

रकबा 1.891 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा है) है परन्तु राजस्व अधिकारी एंव कर्मचारियों से मिलकर आवेदकगण ने अपना नाम लिखवा लिया है, जिसे दुरूस्त किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी ने प्र0 क0 83 बी-121/98-99 दर्ज कर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 21-9-2000 पारित किया तथा नामांत्रण पंजी पर संहिता की धारा 190 के अंतर्गत किये गये आवेदकगण के नामान्तरण को निरस्त कर प्रकरण तहसील न्यायालय में सुनवाई हेतु वापिस किया। तहसीलदार चन्देरी ने हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर प्र0 क0 1 अ-46/2000-01 में आदेश दिनांक 9-5-01 पारित किया तथा आवेदकगण को वादग्रस्त भूमि पर मौरूषी कृषक मानकर नामान्तण के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी के समक्ष अपील क्रमांक 34/2000-01 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 19-4-2001 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 489/01-02 अपील में पारित आदेश दि. 12-12-2003 से अपील स्वीकार की गई एंव तहसीलदार चन्देरी का आदेश दिनांक 9-5-01 एंव अनुविभागीय अधिकारी, चंदेरी का आदेश दिनांक 19-4-2001 निरस्त किये गये। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाए गए बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार चन्देरी के आदेश दिनांक 9-5-2001 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार ने मध्य प्रदेश भू राजस्व

संहिता, 1959 की धारा 190 के अंतर्गत आवेदकगण को वादग्रस्त भूमि पर मौरूसी (सिकमी) कास्तकार मानकर नामान्तरण किया है। खसरा संबत 2045 एंव उसके पूर्व के खसरों में कहीं भी शीतल सिंह अथवा उसके पूर्वजों का सिकमी या मौरूषी कास्तकार की हैसियत से नाम अंकित नहीं है जबकि आवेदकगण उनके पूर्वजों व्दारा वर्ष 2000 के 40 वर्ष पूर्व से 100 रूपये लेकर नंदलाल द्वारा मौखिक पटटे पर जमीन जुतवा देने का तथ्य बता रहे हैं। आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में अथवा अपीलीय न्यायालयों में 100/-रूपये प्राप्ति की रसीद अथवा पुष्टिकरण में अन्य अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया हैं। अपर आयुक्त एंव अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश के अवलोकन से पाया गया कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने आदेश दिनांक 12.12.2003 में विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष निकाले हैं जिनसे असहमत होने का कोई कारण नहीं है एंव तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी चन्देरी व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष अभिलेख एंव प्रकरण आये तथ्यों के विपरीत होकर भ्रामक है जिसके कारण अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 489/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-12-2003 विधिवत् होना पाया गया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त,ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 489/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 12-12-2003 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर